समक्ष राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

R 4107- PBR-16

(146)

प्रकाश आ0 हरचरण किरार आयु करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम वाचावानी तह0 बनखेडी जिला होशंगाबाद ....अपीलार्थी / .आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती शारदा बाईआयु करीब 52 वर्ष पत्नि गणेश प्रसाद

2 हरचरण आ. पन्नू किरार आयु करीब 72 वर्ष

दोनो निवासी ग्राम वाचावानी तह0 बनखेडी जिला होशंगाबाद

...................उत्तरवादी / अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

आवेदक यह पुनरीक्षण याचिका माननीय अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के न्यायालय के प्र0 क0 63 / अपील / 14--15 आदेश दिनांक 22.9.16 जिसके तहत उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की गई के विरूद्ध निम्न तथ्यो व आधारो पर पेश है--

प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि ग्राम पौढी तह0 बनखेडी जिला होशंगाबाद स्थित कृषि भूमि ख0 नं0 223 / 2 225 / 2 एवं 224 जुमला रकबा 4.253 हे0 भूमि जो आपसी पारिवारिक व्यवस्था के तहत हरचरण द्वारा आवेदक को दी जाकर संशोधन पंजी क्र0 222 प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 24.11.2002 के तहत स्वीकार प्रमाणित किया जाकर आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर हरचरण की सहमति से दर्ज किया गया ओर सहमति बतौर हरचरण ने अपने हस्ताक्षर संशोधन पंजी पर किये ।

1. यह कि उक्त प्रमाणीकरण आदेश के विरूद्ध हरचरण द्वारा अनु0 अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो अनु0 अधिकारी द्वारा 26.05.15 के तहत निरस्त किया गया के विरूद्ध आवेदक के द्वारा अपर आयुक्त होशंगाबाद के समक्ष अपील पेश की गई जिसका प0 क0 63 / अपील / 14--15 आदेश दि0 21.07.16 के तहत अनु0 अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया ओर तहसीलदार का संशोधन प्रमाणीकरण यथावत रखा गया ।

2. यह कि प्रगकरण में उत्तरवादी शारदा बाई का कथन हे कि उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि ख.नं0 223 / 2 में से 1.73 एकड एवं 225 / 2 में से 10.27 एकड भूमि जुमला रकबा दो एकड भूमि विकय पत्र से खरीदी है । जबकि इस तरह का कोई विकय पत्र नही हुआ है और प्रश्नाधीन भूमि जो उत्तरवादी शारदा बाई द्वारा कय करना बतलाई है वह खानदानी भूमि होकर प्रकाश के पुत्रो का भी उसमें जन्म से ही हक है के द्वारा कोई विकय नही किया है इसलिये विकय पत्र अवैध है ।

R-4107-PBR/16

28/3/19 None pr. DD.

आवेदक की ओर से कोई उप. नहीं पूर्व में उनकी ओर से अधि. उप. थे उन्हें समय-2 पर उदार आवाज लगवाई गई. परंतु कोई उप. नहीं अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है

[signature]
रीडर

[signature]
अध्यक्ष